

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण गजेन्द्र राणा, उदयभान सहित एवं धर्मेन्द्र की ओर से श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त धर्मेन्द्र की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

इसी प्रकम पर फरियादी/आहत रवि राठौर स्वयं सहित पिता सोवरन राठौर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है पक्षकारों के मध्य आपसी पृकृति का विवाद है प्रकरण में आपसी समझौते के आधार पर निराकरण की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्ष को समझाइश दी गई।

प्रकरण मीडिएशन कार्यवाही हेतु तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण गोहद को रैफर किया जा रहा है।

रैफरल ऑर्डर जारी हो।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु कुछ देर पश्चात प्रस्तुत हो।

शिवानी शर्मा
जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत उपस्थित।

प्रशिक्षित मीडिएटर से मीडिएशन सफल होने की रिपोर्ट प्राप्त।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक रवि राठौर द्वारा पिता सोवरन राठौर, निवासी :- ग्राम देहगांव, थाना-मौ, परगना-गोहद, जिला-भिण्ड स्वयं उपस्थित। आहत की पहचान उसके आधार-कार्ड पत्र से भी हो रही है। अभिलेख के आधार पर भी पहचान के संबंध फरियादी से पूछताछ की गई, जिससे न्यायालय उसकी पहचान के संबंध में संतुष्ट है।

फरियादी/आवेदक ने उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "04" द.प्र.स. प्रस्तुत किया। अव्यस्क आहत की ओर से उसके पिता द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/आहत रवि अभियोजित अपराध की धारा

294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का न्यायालय की अनुमति से शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

शिवानी शर्मा
जे.एम.एफ.सी., गोहद